

त्रिमासिक परीक्षा : प्रत्येक तीन माह पर केन्द्र द्वारा त्रिमासिक परीक्षा आयोजित कराई जायेगी। संस्थान में उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम होने पर अतिरिक्त कक्षा कराने की व्यवस्था है जिसके लिए अलग से शुल्क देय होगा। 80 प्रतिशत से कम उपस्थित होने पर किसी भी परिस्थिति में फार्म नहीं भरा जाएगा।

नोट:- अंतिम अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा का फार्म भरते समय केन्द्र का किसी भी प्रकार का शुल्क बाकी नहीं रहना चाहिए।

केन्द्र का नियम

1. केन्द्र दो पाली में चलता है। प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 2 बजे दिन तक एवं द्वितीय पाली 10 बजे दिन से संध्या 5 बजे तक चलता है।
2. केन्द्र में नामांकन के लिए 14 वर्ष से 40 वर्ष तक का उम्र होना चाहिए। हरिजन एवं आदिवासी छात्रों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है।
3. केन्द्र ठीक समय पर पहुँचें। संस्थान के पश्चात् आप अपने ट्रेड में चले जाए। केन्द्र अहाते में व्यर्थ धुमना, शोर मचाना उचित नहीं है।
4. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन डायरी एवं पुस्तके साथ लानी है, बिना डायरी एवं पुस्तकों को क्लास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
5. अध्ययन काल में प्राचार्य के अनुमति के पश्चात् ही अभिभावक, अनुदेशकों एवं प्रशिक्षणार्थियों से मिल सकते हैं।
6. कोई भी प्रशिक्षणार्थी अध्ययन अवधि में अनुदेशक एवं प्राचार्य के अनुमति के बिना केन्द्र को नहीं छोड़ सकते हैं।
7. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रशिक्षणार्थी पर होगी।
8. अगर कोई प्रशिक्षणार्थी केन्द्र में विलम्ब से पहुँचता है तो अनुदेशक एवं प्राचार्य की अनुमति से ही क्लास में बैठ सकता है। अगर प्रशिक्षणार्थी निरंतर विलम्ब से पहुँचता है, तो तीसरी बार अभिभावक को साथ लाने पर ही क्लास करने की अनुमति दी जायेगी।
9. केन्द्र में प्रशिक्षणार्थी को 12 दिन आकस्मिक अवकाश एवं 15 मेडिकल छुट्टी दी जाती है। मेडिकल छुट्टी के लिए डॉक्टर का प्रमाण – पत्र आवश्यक होगा, अन्यथा क्लास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
10. केन्द्र से बिना सूचना के 10 दिन अनुपस्थित होने पर नाम काट दिया जायेगा।

11. प्रशिक्षण शुल्क 1 से 10 तारीख तक जमा करें अन्यथा बिलम्ब शुल्क प्रतिदिन पाँच रूपया की दर से देय होगा तथा माह के अंतिम दिन तक शुल्क जमा न करने पर अगले माह से क्लास करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
12. केन्द्र की सम्पत्ति नष्ट करने या चुराये जाने पर प्रशिक्षणार्थी उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे।
13. केन्द्र में अनुशासन और नैतिकता के प्रतिकूल किसी प्रकार का आचरण संस्थान से निष्कासन का कारण होगा।
14. केन्द्र में किमती सामान नहीं लायें। खोये हुए समान के प्रति संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।
15. केन्द्र में प्रति माह मासिक परीक्षा एवं तीन माह पर त्रैमासिक परीक्षा होगी। परीक्षाफल पर पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
16. केन्द्र में नामांकन के समय मूल अंक पत्र एवं स्कूल या कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
17. प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व जमा मूल प्रमाण – पत्र नहीं लौटाया जायेगा। विशेष परिस्थिति में पूर्ण प्रशिक्षण शुल्क जमा करने के बाद ही मूल प्रमाण – पत्र लौटाने पर विचार किया जायेगा।
18. मूल प्रमाण – पत्र जमा करने से पूर्व आवश्यकतानुसार फोटो स्टेट कराकर रख लें।
19. नामांकन होने के बाद नामांकन शुल्क या अन्य शुल्क किसी परिस्थिति में लौटाने या स्थानान्तरित करने का प्रावधान नहीं है।
20. केन्द्र में पुस्तकालय उपलब्ध है। संस्थान में जमा राशि 1000 रु0 (Security) के रूप में जमा करने के बाद पुस्तकें दी जायेगी। जमा राशि प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद लौटायी जायेगी।
21. आपके द्वारा जमा किया गया सभी मूल प्रमाण – पत्रों का सत्यापन कराया जायेगा। गलत या जाली प्रमाण – पत्र धारकों को केन्द्र से निष्कासित करते हुए उसके ऊपर कानूनी कारवाई की जायेगी।
22. जाति – प्रमाण पत्र जिलाधिकारी, अनुमंडलधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा निर्गत मान्य होगा।
23. नामांकन के लिए उपस्थिति में किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
24. कौशनमनी आई0 टी0 सी0 का प्रमाण – पत्र प्राप्त करते समय लौटाया जायेगा। बशर्ते संस्थान का कोई सामान टुटा या भूला नहीं हो। बीच में संस्थान छोड़ने पर कौशनमनी वापस नहीं होगा।
25. केन्द्र द्वारा दूर से आने-जाने वाले प्रशिक्षणार्थीयों हेतु रेलवे रियायती फार्म उपलब्ध कराया जाता है।
26. कल्याण विभाग (बिहार सरकार) द्वारा हरिजन, आदिवासी एवं पिछड़ी जाति के प्रशिक्षणार्थीयों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
27. विशेष प्राचार्य के आदेश से लागू होगा।